



पूर्व मध्य रेल  
EAST CENTRAL RAILWAY  
(Accounts Department)

कार्यालय  
प्रविस/पूमरे  
हाजीपुर  
Office of the  
PFA/ECR  
Hajipur

No.ECR/Fin/Admn/App-2/2024

Dated, the 21<sup>th</sup> Nov 2024

To,  
FA&CAO/RWP/BELA, WP/PNBE  
FA&CAO/Con/MHX, TA  
Dy.FA&CAO/TA/C&P/HJP  
Dy.FA&CAO/DMH, MEW,  
Dy.FA&CAO/S&W/FIN/B&B/HJP  
Dy.CE (Con)/HJP/BRKA/HZME  
Dy.CE (Con)/GANGA BRIDGE/PATNA  
Assistant Secretary RRB/MFP/PNBE  
Sr.EDPM/ECR/HJP  
Sr.DFM/SEE/MGS/DNR/DHN/SPJ  
Sr.AFA/PD/MGS, Sr.AFA/WS/SPJ  
Sr.AFA/RE/DNR,AFA/RCT/PNBE  
AFA/CRW/HRT


**Subject: Regarding Notification of Appendix-2 (IREM) Examination, 2024.**

Please find enclosed herewith the notification for Appendix-2(IREM) Examination, 2024 .

The application of willing and eligible staff in prescribed format duly filled up by the candidates and with the signature of controlling officer should be sent to this office (Confidential Section/Examination Cell) by 30.11.2024 through special messenger. Application received after 30.11.2024 will not be entertained.


The staff may, however, withdraw their candidature by 05.12.2024  
Please acknowledgement receipt.

Enclosed: Notification (Page 01 to 07)

  
(Rajeev Ranjan)  
AFA/Admn  
For PFA/HJP

Copy forwarded for information necessary action accordingly.

Sr.AFA/AFA-Admn/EXP/ENGA/PEN/FIN/AUDIT/EFFY/INSP/BGT/Taxation  
Cell/PF/EGA/BOOKS/NPS/HJP, and Notice Board.

  
AFA/Admn  
For PFA/HJP



पूर्व मध्य रेल  
EAST CENTRAL RAILWAY  
(Accounts Department)

कार्यालय  
प्रविस/हाजीपुर  
Office of the  
PFA/Hajipur

संख्या-पूमरे/वित्त/प्रशा/परि0-2/2024

दिनांक-21.11.2024

अधिसूचना

परिशिष्ट-2 (आई.आर.ई.एम) परीक्षा, 2024 पूमरे में आयोजित की जायेगी। इस निमित्त लेखा विभाग के पात्र कर्मचारियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। परीक्षा का विषय सामान्य बही खाता, सामान्य नियम एवं कार्यविधि तथा एक वैकल्पिक विषय होंगे।

— जी.आर.पी. एवं वैकल्पिक विषय के प्रश्न पत्र में 80 प्रतिशत प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, बाकी 20 प्रतिशत हेतु सामान्य तौर पर एक प्रश्न दिया जायेगा। (RBA No- 108/2019 & RBA No.100/2019)

— परीक्षा मार्च, 2025 में आयोजित की जायेगी। तिथि एवं परीक्षा केन्द्र की घोषणा बाद में सूचित की जायेगी।

(1) पात्रता की शर्तः—(प्राधिकार) (As per IREM Vol. 1 App-2/4 a to f)

(Authority – Rly Bd's letter no. 2004/AC-II/20/5 dated- 20.10.2004)

- 1.1 अनुकम्पा के आधार पर अथवा रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा सीधी भर्ती के तहत नियुक्त लेखा लिपिक एवं परीवीक्षाधीन अवर लेखा सहायक जो अधिसूचना जारी होने की तिथि तक लेखा विभाग में छः माह की सेवा पूर्ण कर चुके हैं एवं अवर लेखा सहायक जो रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा सीधी भर्ती के तहत नियुक्त हुए हैं उन्हें तीन वर्षों में उत्तीर्ण करने के लिए दो अवसर दिए जायेंगे।
- 1.2 अनुकम्पा के आधार पर अथवा रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा सीधी भर्ती के तहत नियुक्त लेखा लिपिक एवं अवर लेखा सहायक जिन्होंने प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है अथवा प्रशिक्षणोपरांत उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हुए हैं वे भी इस परीक्षा में शामिल होने के पात्र होंगे। उनका उपरोक्त परीक्षा में सफल होने का परिणाम अनन्तिम माना जाएगा जब तक कि प्रारंभिक प्रशिक्षण उत्तीर्ण न कर लिया जाए।
- 1.3 टंकक और आशुलिपिक जो अधिसूचना जारी होने की तिथि तक लेखा विभाग में एक वर्ष सेवा पूर्ण कर चुके हैं एवं लेखा विभाग के कार्यों का व्यवहारिक ज्ञान है। इस संदर्भ में नियंत्रक अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी के आवेदन पर यह सत्यापित किया जाये कि कर्मचारी को लेखा विभाग के कार्यों का ज्ञान है। (Ref.- RBA 51/2009)
- 1.4 जूनियर कैशियर (पे बैंड रु 5200-20200 ग्रेड पे रु 2400), शर्पाफ (पे बैंड रु 5200-20200 ग्रेड पे रु 1900), एवं सिनियर शर्पाफ (पे बैंड रु 5200-20200 ग्रेड पे रु 2400) जो रोकड़ एवं भुगतान विभाग में एक वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं एवं जिन्हें लेखा विभाग के कार्यों का व्यवहारिक ज्ञान है। इस संदर्भ में नियंत्रक अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी के आवेदन पर यह सत्यापित किया जाय कि कर्मचारी को लेखा विभाग के कार्यों का ज्ञान है। (Ref.-RBA 43/2015)
- 1.5 पे बैंड रु 9300-34800 ग्रेड पे रु 4200 एवं अधिक में कार्यरत कैशियर एवं शर्पाफ केवल परिशिष्ट-3 (आई.आर.ई.एम) परीक्षा में शामिल होने की पात्रता प्राप्त करने हेतु इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।
- 1.6 लेखा विभाग में समाहन के लिए इच्छुक रोकड़ एवं वेतन विभाग के लिपिकवर्गीय कर्मचारियों जिन्होंने रोकड़ एवं वेतन विभाग में न्यूनतम एक वर्ष की अविच्छिन्न सेवा प्रदान की हो और लेखा कार्यालय के कामकाज का उचित व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त भी किया हो।



उन्हें यह परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के लिए नियत पूर्व-परीक्षा प्रशिक्षण लेना होगा ताकि वे पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु और लेखा विभाग के कामकाज से परिचित हो सकें। इस संदर्भ में नियंत्रक अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी के आवेदन पर यह सत्यापित किया जाय कि कर्मचारी को लेखा विभाग के कार्यों का ज्ञान है।(Ref.-RBA 12/2023)

उपरोक्त 1.4 एवं 1.5 तथा 1.6 के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थियों को परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होना अनिवार्य है।

- (2) अस्थायी लेखा लिपिक/टंकक जिनकी सेवायें रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा नियमित नहीं है रेलवे बोर्ड द्वारा अनुमति दिये जाने पर ही इस परीक्षा में सम्मिलित किये जायेंगे। मात्र उक्त परीक्षा पास करने से ही स्थायी रूप से समाहित करने का दावा स्वीकार्य नहीं होगा। इस आषय का प्रार्थना पत्र भी अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र के साथ प्रेषित करना अनिवार्य है।
- (3) परिशिष्ट-2 (आई.आर.ई.एम) परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम Annexure-‘A’ के रूप में उपलब्ध है।
- (4) अभ्यर्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक विषय में न्यूनतम 40% (प्रतिशत) अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। रेलवे बोर्ड के पत्रांक 97-E(SCT)-I/25/25 दिनांक 13.03.2000 (RBE No 43/2000) के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मामले में परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पूर्णांक का 10% (प्रतिशत) की छूट/रियायत दी जायेगी अर्थात् न्यूनतम 30% (प्रतिशत) अंक प्रत्येक विषय में प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- (5) आने वाले परीक्षा में छूट (Exemption) प्राप्त करने के लिए पूर्व परीक्षा में न्यूनतम 50% (प्रतिशत) अंक संबंधित विषय में प्राप्त करना अनिवार्य है। ऐसे उम्मीदवार जो परीक्षा में विफल रहते हैं लेकिन किसी विषय में 50% (प्रतिशत) से ज्यादा अंक प्राप्त करते हैं, बाद में परीक्षाओं में उस विषय में बैठने से छूट दी जायेगी।
- (6) अभ्यर्थी “हिन्दी” अथवा “अंग्रेजी” माध्यम में उत्तर देने का विकल्प दे सकते हैं। इस संबंध में अभ्यर्थी द्वारा अपना विकल्प आवेदन में स्पष्ट रूप से भरा जाना चाहिए।
- (7) रेलवे भर्ती बोर्ड से चयनित अवर लेखा सहायक को छोड़कर अन्य अभ्यर्थियों को समान्यतः पाँच बार परीक्षा में बैठने का अवसर दिये जाते हैं। जो अभ्यर्थी उक्त परीक्षा में छठे अवसर से लेकर दसवें अवसर में सम्मिलित होना चाहते हैं। वे अपने आवेदन पत्र के साथ विशेष अवसर का भी आवेदन नियंत्रक अधिकारी की संस्तुति के साथ भेजें। विशेष अवसर के लिए प्रार्थना पत्र जो नियम संगत हो के अभाव में ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे। जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा इस कार्यालय द्वारा इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार नहीं होगा। सभी नियंत्रक अधिकारी कृपया इसे सुनिश्चित कर लें।(Ref.-RBA 39/2004 dt. 20.10.2004)


	कोटि (Category)	सामान्य तौर पर दिया जानेवाला अवसर	विशेष तौर पर दिया जाने वाला अवसर
(i)	लेखा लिपिक	05	प्रधान वित्त सलाहकार के अनुमति से 06 से 08 अवसर, महाप्रबंधक महोदय के अनुमति से 09 से 10 अवसर दिये जायेंगे।
(ii)	अवर लेखा सहायक सीधी भर्ती (रेलवे भर्ती बोर्ड/ अनुकम्पा) द्वारा नियुक्त	तीन वर्ष में 02 अवसर दिये जायेंगे।	सेवा नियुक्ति तिथि से कुल चार वर्ष तक के लिए तीसरा अवसर हेतु महाप्रबंधक महोदय की स्वीकृति से।
(iii)	Cashier/Shroff	10	RBA No- 43/2015 के तहत

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कर्मचारियों को प्रदत्त अवसर Annexure-'A' के अनुसार होंगी।

- (8) परीक्षा हेतु सभी अर्हक कर्मचारियों जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी भी शामिल हैं, के प्रशिक्षण की अवधि 21 दिन कार्य दिवस की होगी जो अभ्यर्थियों का रोल नम्बर जारी हो जाने के पश्चात् मुख्यालय एवं मंडलों द्वारा आयोजित की जाएगी।
- (9) परीक्षा में पुछे गये वस्तुनिष्ठ किस्म के प्रश्न कर्मचारियों की अपेक्षित क्षमता आकलन हेतु होगा। साथ ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र आंतरिक जाँच की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी न आए से संबंधित भी होगा।
- (10) जो अभ्यर्थी उपरोक्त पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं वे अपना आवेदन पत्र निर्धारित संलग्न प्रारूप में अपने नियंत्रक अधिकारी के पास जमा कर दें तथा नियंत्रक अधिकारी पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र इस कार्यालय को दिनांक 30.11.2024 तक पत्रवाहक के माध्यम से प्रेषित करने की व्यवस्था करें। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। दिनांक 05.12.2024 तक अभ्यर्थी अपना नाम वापस ले सकते हैं।

संलग्नक:- 1. परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं पात्रता संबंधी सूचना (Annexure-'A')

2. आवेदन पत्र का प्रारूप (Annexure-'B')

  
सविस/प्रशासन  
कृते प्रविस/हाजीपुर

## परिशिष्ट-2 (आई.आर.ई.एम) परीक्षा 2024 के लिए आवेदन पत्र

1. अभ्यर्थी का नाम क) हिन्दी में.....  
ख) अंग्रेजी में.....  
ग) भविष्य निधि सं० / कर्मचारी सं०.....  
घ) मोबाइल न० .....  
ड) HRMS ID .....
2. पिता/पति का नाम.....
3. अनुभाग..... कार्यालय.....
4. वर्तमान पद.....
5. वर्तमान पद में पदोन्नति की तिथि.....
6. क्या अनुसूचित जाति/जनजाति के हैं, यदि हाँ तो स्पष्ट उल्लेख करें.....
7. नियुक्ति तिथि क) रेल सेवा में.....  
ख) लेखा विभाग में.....  
ग) कैश एवं पे विभाग में (कैशियर एवं शर्माफ के लिए).....  
घ) ग्रुप 'डी' से ग्रुप 'सी' में पदोन्नति की तिथि.....
8. शैक्षणिक योग्यता .....
9. नियुक्ति का श्रोत.....
10. परीक्षा का माध्यम ( हिन्दी/अंग्रेजी ).....
11. लेखा लिपिक/अवर लेखा सहायक एवं अन्य के लिए  
क्या नियुक्ति के बाद निर्धारित प्रशिक्षणोपरांत परीक्षा पास है, यदि हाँ तो परीक्षा का परिणाम वर्ष.....
12. क्या इससे पूर्व परि-2 परीक्षा में सम्मिलित हो चुके हैं, यदि हाँ तो कितनी बार/अवसर बैठें हैं,  
उसका पूर्ण विवरण दे:-

Please Affix  
Recent  
colour  
Attested  
Photograph

Sl.no	Year	Roll no.	Railways	Sl.no	Year	Roll no.	Railways
1				6			
2				7			
3				8			
4				9			
5				10			

13. परि-2 (आई.आर.ई.एम) परीक्षा में बैठने से छूट (Exemption) प्राप्त विषयों का विवरण

Sl.no	छूट (Exemption)	Roll No.	Year

14. परीक्षा हेतु वैकल्पिक विषय .....





124, 11:26  
QUA  
मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी जानकारी के अनुसार उपर्युक्त विवरण सत्य है तथा उपरोक्त में किसी विवरण के गलत पाये जाने की दशा में पूरी जिम्मेवारी मेरी होगी।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

यह सत्यापित किया जाता है कि अभ्यर्थी उपरोक्त परीक्षा हेतु निर्धारित शर्तों को पूरा करता है तथा रेल सेवा में छः माह/एक वर्ष पूरा कर लिया है।

मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि अभ्यर्थी जो नियमानुसार परीक्षा में बैठने के पात्र है, के संबंध में दिये गये उपरोक्त सभी विवरण मेरी जानकारी के अनुसार ठीक है। यह स्फूर्तिमान एवं सच्चरित्र और इनकी उपस्थिति नियमित रही है।

हस्ताक्षर नियंत्रक अधिकारी  
(राजपत्रित)



**APPENDIX 2****QUALIFYING EXAMINATION FOR PROMOTION ABOVE ACCOUNTS CLERKS OF THE ACCOUNTS DEPARTMENT UP TO AND INCLUDING THE RANK OF ACCOUNTS ASSISTANTS**

1. The syllabus of the examination will be as follows.—

The examination will consist of three papers, one on Elementary Book-keeping, another on General rules and Procedure which will include a compulsory question in regard to framing a draft-letter, and the third on a particular branch of Accounting. The first paper will examine the candidate's knowledge of the general principles and Practices of Elementary Bookkeeping, and the following Chapters of Double Entry book-keeping by J. R. Batliboi, are prescribed as test—

- (i) Elements of Double Entry.
- (ii) Rules for Journalizing.
- (iii) Ledger Accounts,
- (iv) Sub-Divisions of Journal.
- (v) The Cash Book.
- (vi) Banking Transactions,
- (vii) Bill Transactions,
- (viii) The Journal proper,
- (ix) The Trial Balance.
- (x) The Trading Account,
- (xi) The Profit and Loss Account.
- (xii) The Balance Sheet.
- (xiii) Depreciation, Reserve and other Funds.

The paper on General Rules and Procedure will be such as to test the candidate's ability to frame a draft and also to test the candidate's knowledge of the procedure in force in the office in which he is serving and general rules applicable to all branches of the Railway Accounts Office and the questions will be of an elementary nature. The third paper will be of a nature to test the candidate's theoretical and practical knowledge of work in any one of the following branches.

- (a) Establishment and Provident Fund.
- (b) Stores Accounts.
- (c) General Expenditure Accounts.
- (d) Workshop Accounts.
- (e) Books and Budget and Appropriation Accounts.
- (f) Coaching, Passenger. Parcels and Coaching Statistics, including a knowledge of machine methods and Traffic Book.
- (g) Goods and Goods Statistics, including a knowledge of machine methods and Traffic Book.

2. Forty percent of the maximum marks in each subject will be required to secure a pass. This has effect from the examination held in November 1956 onwards.



3. The examination will be conducted by the Head of each Office, who will also decide the intervals at which it should be held.

4(a). Ordinarily no Railway servant will be permitted to take the examination more than five chances for Appendix 2 IREM Examinations but the FA&CAO/General Managers are delegated with powers to grant additional chances to the candidates appearing in the aforesaid examinations as detailed below:-

Particulars of Exam.	Normal chances	Permission may be granted by FA&CAO	Permission may be granted by GM	Railway Board
Examination for promotion beyond Accounts Clerks (as laid down in this Appendix)	5	6 <sup>th</sup> to 8 <sup>th</sup> chance	9 <sup>th</sup> and 10 <sup>th</sup> chance.	No reference will be made to Board for chance beyond 10 <sup>th</sup> chance.

**Note:** This Sub Rule is not applicable to directly recruited JAAs who are required to pass Appendix II examination in two chances/ within three years of their joining service as JAAs failing which their services are liable to be terminated. However, the request for grant of a third chance, on the specific recommendation of the FA&CAO, may be granted by the G.M., to be availed of within total span of four years of joining service as JAAs before action to terminate their services is taken."

**(Authority: Railway Board's letter No. 2004/AC-II/20/5 dated 20.10.2004)**

(b) No railway servant, who has less than six months service in a Railway Accounts Office or who has not a reasonable chance of passing the examination will be allowed to appear in the examination prescribed in this Appendix. In exceptional circumstances the condition regarding six months minimum service may be waived by the General Manager.

(c) Temporary railway servants may be permitted to sit for the examination, but it should be clearly understood that the passing of this examination will not give them a claim for absorption in the permanent cadre.

(d) A candidate who fails in the examination but shows marked excellence by obtaining not less than 50% in any subject may be exempted from further examination in that subject in subsequent examinations.

4 (e) The permission accorded to a candidate to appear in the examination counts as a chance availed of even if the candidate does not actually sit for the examination unless an application from the candidate is received by the General Manager each year for withdrawal from the examination and is accepted by the General Manager.

4 (f) In the case of candidates prevented from appearing in the Appendix-2 (IREM) examination owing to circumstances beyond their control, an application for exemption from counting the permission granted as a chance availed of should be made to the General Manager within a fortnight from the last date of the examination supported by certificates (Medical Certificates conforming to the Rules in Chapter 5 of Indian Railway Medical Manual, Vol. I) obtained by them before the termination of the examination.

**(Authority: Railway Board's letter No. 2004/AC-II/20/5 dated 20.10.2004)**

5. No alteration shall be made in these rules without the prior sanction of the Railway Board.

-----\*\*\*\*\*-----